



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 17.06.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सन्तोष बाल्मीक पुत्र राजबहादुर नि० मु० भगत सिंह नगर थाना कोंच द्वारा **मारपीट व गाली-गलौज करने** के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कोंच पर मु०अ०सं० 173/2000 धारा 323/506 भादवि में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सन्तोष उपरोक्त को **2,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कुठौन्द पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय जे.एम. कोर्ट कोंच जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. सन्तोष उपरोक्त को दोषी पाते हुए **2,000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



एपीओ
नन्दिनी गुमा



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



का० राजीव कुमार
कोर्ट मुहरिर



का० अनमोल
कोर्ट पैरोकार